न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 132 सन 2018
अनवान :–

1. परमेश्वरी माता नत्थुराम जाति कमों साकिन गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायला–

बनाम

1. सीमादेवी पत्नी नत्थाराम जाति कमों साकिन गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सोनूसिंह पुत्र नत्थाराम जाति कमों साकिन गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. मोनूसिंह पुत्र नत्थाराम जाति कमों साकिन गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. अमनसिंह पुत्र नत्थाराम जाति कमों साकिन गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
5. उप पंजीयक रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता सायला
श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता गैरसायल संख्या 1 ता 4

निर्णय दिनांक :– 03.06.2019

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 412/459(93) के किला न0 1/0.2770 ,2/0.2280 ,3/0.2280 ,4/0.2280 ,5/0.2280 ,6 ता 20 की 3.7950हैक्ट , 21/2 की 0.1270 ,22/0.1260 ,23/0.2020 ,24/0.1900 ,25/0.1890 प0न0 0 मु0न0 167/12 किला न0 0 की 0.1260हैक गै0मु0 रास्ता कुल 5.8940 हैक्टयर भूमि में सायला एवं गैरसायल न0 1 ता 4 बहिब 246 हिस्सा दावा में प्रतिवादी संख्या 5 का 27–1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 बहिब 192–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

सायला एवं गैरसायला एवं दावा में प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि को मुश्तरका ही काश्त करते एवं रकमरराज अदा करते आ रहे है विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण लगान काश्त एवं सिवं का झगडा रहता है इसलिये सायला अपने हक हिस्सा की भूमि का मुताबिक भूमि किस्म अनुसार अच्छी में से अच्छी व घटिया में से घटिया के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवाने के अधिकारी है।

सायला व गैरसायल व दावा में प्रतिवादीगण विवादित भूमि को मुश्तरका ही काश्त करते आ रहे है लेकिन अब गैरसायल न0 1 ता 4 के मन में बेईमानी आ गई है और वह सायला को नुकसान पहुचाने के लिये बिना किसी आवश्यकता के बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किश्म की भूमि को किसी भूमाफिया लोगो को बैय करने की सरे आम धमकीया दे रहे है यदि गैरसायल न0 1 ता 4 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को भारी नुकसान होता है जिसकी पुर्ति किसी भी प्रकार से नही हो सकेगी और मुकदमाबाजी बढेगी इसलिले सायला गैरसायल न0 1 ता 4 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल न0 1 ता 4 के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे की वह विवादित भूमि रोही मौजा चक 5 जीजीएम

GL

Scanned with CamScanner

तहसील नोहर के प0न0 412/459(93) के किला न0 1/0.2770 ,2/0.2280 ,3/0.2280 ,4/0.2280 ,5/0.2280 ,6 ता 20 की 3.7950हैक्ट . 21/2 की 0.1270 ,22/0.1260 ,23/0.2020 ,24/0.1900 ,25/0.1890 प0न0 0 मु0न0 167/12 किला न0 0 की 0 1260हैक गै0मु0 रास्ता कुल 5.8940 हैक्टयर को रहन बैय एव मुन्तकिल नही करे एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायला का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 4 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई की गैरसायल न0 1 ता 4 विवादित भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे एवं गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि सायला एवं गैरसायल न0 1 ता 4 एवं वाद में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसे गैरसायल न0 1 ता 4 अपने कब्जा काश्त के अनुसार काश्त करते आ रहे है कभी भी सायला के साथ कब्जा काश्त को लेकर झगड़ा नही हुआ है गैरसायल न0 1 ता 4 शान्तिप्रिय व्यक्ति है जिसने कभी भी सायला को अच्छी किस्म की भूमि बेचान करने की घमकी नही दी गई है ना ही जमीन बेचाना चाहते है केवल अपने प्रार्थना पत्र को रगंत देने के लिये अंकित किया गया है गैरसायल अपने कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है गैरसायल विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है खातेदार काश्तकार के विरूद्व बिना किसी आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है उतरादाता खातेदार काश्तकार है सायला गैरसायल को अपने हक हिस्से की भूमि को रहन /बैय करने के लिये पाबन्द नही करवा सकती है यदि पाबन्द किया जाता है तो सायला को अपुर्णप्रिय क्षति ना होकर गैरसायल को होगी और गैरसायल अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम हो जावेगे। सायला ने प्रार्थना पत्र बिना किसी कानून कायदे के केवल गैरसायलान संख्या 1 ता 4 को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जो खारिज किया जाकर गैरसायल के विरूद्व जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 1 ता 4 का जवाब शामिल मिसल किया जाकर उभय पक्षों की बहस सुनी गई ।

वकील सायला के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला एवं गैरसायल न0 1 ता 4 एवं दावा में प्रतिवादी संख्या 5 सभी विवादित भूमि के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

सायला एवं गैरसायला एव दावा में प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि को मुश्तरका ही काश्त करते एवं रकमरराज अदा करते आ रहे है विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण लगान काश्त एवं सिचं का झगडा रहता है इसलिये सायला अपने हक हिस्सा की भूमि का मुताबिक भूमि किस्म अनुसार अच्छी में से अच्छी व घटिया में से घटिया के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवाने के अधिकारी है।

सायला व गैरसायल व दावा में प्रतिवादीगण विवादित भूमि को मुश्तरका ही काश्त करते आ रहे है लेकिन अब गैरसायल न0 1 ता 4 के मन में बेईमानी आ गई है और वह सायला को नुकसान पहुचाने के लिये बिना किसी आवश्यकता के बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किश्म की भूमि को किसी भूमाफिया लोगो को बैय करने की सरे आम घमकीया दे रहे है यदि गैरसायल न0 1 ता 4 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को भारी नुकसान होता है जिसकी पुर्ति किसी भी प्रकार से नही हो सकेगी और मुकदमाबाजी बढेगी इसयिले सायला गैरसायल न0 1 ता 4 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल न0 1 ता 4 के खिलाफ ता फैसला दावा इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे की वह विवादित भूमि रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 412/459(93) के किला न0 1/0.2770 ,2/0.2280 ,3/0.2280 ,4/0.2280 ,5/0.2280 ,6 ता 20 की 3.7950हैक्ट . 21/2 की 0.1270 ,22/0.1260 ,23/0.2020 ,24/0.1900 ,25/0.1890 प0न0 0 मु0न0 167/12 किला न0 0 की 0.1260हैक गै0मु0 रास्ता कुल 5.8940 हैक्टयर को रहन बैय एवं मुन्तकिल नही करे एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

वकील गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में

Scanned with CamScanner

विवादित भूमि सायला एवं गैरसायल न0 1 ता 4 एवं वाद में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसे गैरसायल न0 1 ता 4 अपने कब्जा काश्त के अनुसार काश्त करते आ रहे है कभी भी सायला के साथ कब्जा काश्त को लेकर झगडा नही हुआ है गैरसायल न0 1 ता 4 शान्तिप्रिय व्यक्ति है जिसने कभी भी सायला को अच्छी किस्म की भूमि बेचान करने की धमकी नही दी गई है ना ही जमीन बेचाना चाहते है केवल अपने प्रार्थना पत्र को रगत देने के लिये अंकित किया गया है गैरसायल अपने कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है गैरसायल विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है खातेदार काश्तकार के विरूद्व बिना किसी आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है उतरादाता खातेदार काश्तकार है सायला गैरसायल को अपने हक हिस्से की भूमि को रहन / बैय करने के लिये पाबन्द नही करवा सकती है यदि पाबन्द किया जाता है तो सायला को अपुर्णीय क्षति ना होकर गैरसायल को होगी और गैरसायल अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम हो जावेगे। सायला ने प्रार्थना पत्र बिना किसी कानून कायदे के केवल गैरसायलान संख्या 1 ता 4 को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जो खारिज किया जाकर गैरसायल के विरूद्व जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में केवल अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रश्न पर ही विवेचन किया जाना है शेष कथन वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होने है प्रार्थना पत्र में देखा जना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सुन्तलन एवं अपूर्णीय क्षति का प्रश्न किसके पक्ष में है ।

सायला के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 412 / 459(93) के किला न0 1 / 0.2770 ,2 / 0.2280 ,3 / 0.2280 ,4 / 0.2280 ,5 / 0.2280 ,6 ता 20 की 3.7950हैक्ट , 21 / 2 की 0.1270 ,22 / 0.1260 ,23 / 0.2020 ,24 / 0.1900 ,25 / 0.1890 प0न0 0 मु0न0 167 / 12 किला न0 0 की 0.1260हैक गै0मु0 रास्ता कुल 5.8940 हैक्टयर भूमि सायला एवं गैरसायल न0 1 ता 4 एवं दावा में प्रतिवादी संख्या 5 बतोर मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन सायला एवं गैरसायल संख्या 1 ता 4 दोनो के पक्ष मे प्रतित होता है।

सायला का कथन है कि गैरसायल संख्या 1 ता 4 सयुक्त खातेदार काश्तकार है जो अच्छी किस्म की भूमि बेचान करने पर उतारू है इसलिये गैरसायल न0 1 ता 4 को पाबन्द किया जावे सायला का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि –

सायला एवं गैरसायल न0 1 ता 4 सयुक्त रूप से मुश्तरका खातेदार काश्तकार है सयुक्त खातेदार काश्तकार का सयुक्त खाता की भूमि पर प्रत्येक ईच / अश पर पर हक हिस्सा होता है तथा सयुक्त खातेदार अपने हक हिस्सा जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को रहन बेय करने मे पूर्णत्या हकदार है। सयुक्त खाते की भूमि में केवल हिस्से का बेचान किया जा सकता है किसी विशेष भू– भाग का बेचान नही किया जा सकता है।

इसप्रकार सायला के कथनानुसार यदि गैरसायल संख्या 1 ता 4 को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायला को ना होकर गैरसायल संख्या 1 ता 4 को होगी एवं वह अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जावेगा। अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु गैरसायल संख्या 1 ता 4 के पक्ष में साबित होता है।

उरोक्त विवेचन अनुसार सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 05.11.2018 को रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 412 / 459(93) के किला न0 1 / 0.2770 ,2 / 0.2280 ,3 / 0.2280 ,4 / 0.2280 ,5 / 0.2280 ,6 ता 20 की 3.7950हैक्ट , 21 / 2 की 0.1270 ,22 / 0.1260 ,23 / 0.2020 ,24 / 0.1900 ,25 / 0.1890 प0न0 0 मु0न0 167 / 12 किला न0 0 की 0.1260हैक गै0मु0 रास्ता कुल 5.8940 हैक्टयर भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/06/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner